साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 13 सितम्बर 2021, वर्ष-7, अंक-24

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-किसान आंदोलन के बीच मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला

-10683 करोड़ की टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम मंजूर

मसूर अब 5500 और गेहूं 2015 रुपए प्रति क्विंटल

भोपाल। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कई रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया है। किसानों को सपोर्ट देने के लिए दलहन (मसूर) और तिलहन (सरसों) का एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है।

यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यूनियन कैबिनेट की बैठक में हुआ। सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400-400 रुपए प्रति क्विंटल का

इजाफा किया है। चने के एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। जौ का एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

गेहूं का एमएसपी 1975 से बढ़कर 2015 रुपए हो गया है। बार्ले का 1600 से बढ़कर 1635 रुपए, चना की 5100 से 5230 रुपए, सरसों की 4650 से 5050 रुपए, सैफलॉवर का 5327 से 5441 रुपए और मसूर की 5100 से बढ़कर 5500 हो गई है।

मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। पीएम के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और इससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

मोदी कैबिनेट ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। पीएम के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और इससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं।

नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री

शिवराज में छात्र पढ़ेंगे उन्नत खेती का पाठ

» सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से फिर जगी उम्मीद

» मद्रास हाईकोर्ट को फिर से सुनवाई करने के निर्देश

» एक बार फिर मप्र सरकार मजबूती से रखेगी अपनी बात

मध्य प्रदेश के बासमती को मिलेगा जीआई टैग!

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले की पुनः सुनवाई करे और मध्यप्रदेश सरकार के तर्कों को ध्यान में रखकर पुनः फैसला ले। मुझे विश्वास है कि प्रदेश के किसानों को शीघ्र न्याय मिलेगा और उनके श्रम का पूरा लाभ भी। अन्नदाता के हितों की रक्षा के लिए हम संकल्पित हैं। बासमती चावल की खेती करने वाले मप्र के किसान भाई-बहनों के लिए राहत के साथ हर्ष और आनंद का यह क्षण है। प्रदेश के 13 जिलों में पैदा होने वाले बासमती को जीआई टैग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मप्र की दलील को स्वीकार किया है।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

अरविंद मिश्र, भोपाल

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मध्य प्रदेश की बासमती को जीआई टैग मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। राज्य एक दशक से अधिक समय से मध्य प्रदेश के 13 जिलों में उगाए जाने वाली बासमती के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश में लगा है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से मध्य प्रदेश के बासमती को जीआई टैग मिलने का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश ने राज्य में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि इसे हाईकोर्ट ने 27 फरवरी, 2020 को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर पुनर्विचार करे।

13 जिलों में हो हरी बासमती

सोयाबीन और कपास की खेती के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के करीब 13 जिलों में बासमती चावल की पैदावार होती है। इनमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर जिले शामिल हैं। ये बासमती चावल बेहद उम्दा क्वालिटी का होता है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास कर रहा है। अब एक बार फिर जीआई टैग मिलने की उम्मीद जगी है।

हाईकोर्ट नए सिरे से करे विचार

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वरन राव, बीआर गवई और बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इन मामलों में शामिल मुद्दों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम हाईकोर्ट के 27 फरवरी, 2020 के फैसले को रद्द करते हैं और मामले को कानून के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेजते हैं।

क्या है मामला

साल 2010 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में उगाए जाने वाले बासमती चावल को जीआई टैग मिला था। उसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बासमती चावल को जीआई टैग देने की मांग की गई थी, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानि एपीडा ने इसका विरोध किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई में जीआई रजिस्ट्रार के यहां अपील दायर की थी। 2013 में फैसला एमपी के पक्ष में आया, लेकिन इसी बीच पंजाब ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई और फिर फैसला एमपी के खिलाफ आया। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने जीआई टैग देने की एमपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था।

मप्र के परंपरागत विवि में खुलेंगे कृषि संकाय

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश के परंपरागत विश्वविद्यायों में कृषि संकाय खोले जाएंगे। यहां छात्रों को उन्नत खेती के गुर सिखाए जाएंगे। खास बात यह है कि कृषि हॉर्टिकल्चर जैसे संकाय शुरू होने से दूरस्थ अंचल के छात्रों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। परंपरागत विश्वविद्यायों में कृषि हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जैसे मूलभूत पाठ्यक्रमों को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खेती किसानी से जुड़े छात्रों के अलावा उन छात्रों को भी इससे फायदा मिलेगा जो उन्नत खेती करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो नई तकनीकि से खेती कर दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं।

अभी सिर्फ कृषि कॉलेजों में ही होती है पढ़ाई

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि विवि और कॉलेज में कई छात्र पढ़ना चाहते है, लेकिन दूर होने की वजह से वहां दाखिला नहीं ले पाते हैं। ऐसे में उन छात्रों की समस्या दूर हो जाएगी, जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से संबंधित विषय पढ़ने के इच्छुक हैं। इसमें यूपी और पीजी दोनों कोर्स होंगे।

नई तकनीक जानेंगे छात्र

वर्तमान में बहुत से किसान परंपरागत ढंग से खेती करते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए तो इससे काफी लाभ मिल सकता है। साथ ही बाजार की मांग के अनुरूप खेती हो सकती है। इसमें औषधीय खेती भी शामिल है। छात्र किसानों को जागरुक भी कर सकेंगे और उन्हें वैज्ञानिक ढंग से खेती के बारे में जानकारी भी दे सकेंगे।

मप्र के परंपरागत विवि आठ

प्रदेश के परंपरागत विवि में बरकतउल्ला विवि भोपाल, जीवाजी विवि ग्वालियर, देवी अहिल्या विवि इंदौर, रानी दुर्गावती विवि जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विवि रीवा, विक्रम विवि उज्जैन, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विवि छतरपुर और छिंदवाड़ा विवि शामिल हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। प्रदेश में अब परंपरागत विश्वविद्यालयों में कृषि, हॉर्टिकल्चर जैसे संकाय प्रारंभ होने से उच्च शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कृषि-हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जैसे मूलभूत पाठ्यक्रमों को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इससे अंतर्विषयक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आकर्षित होंगे।

डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री

गांवों में भी जल-संपत्ति कर से सरकार ने वसूले 277.59 लाख

» ग्रामीणों से शहरों की तर्ज पर वसूला जा रहा संपत्तिकर] जलकर, स्ट्रीट लाइन कर

» वर्तमान में लगभग सात लाख लोगों और 1900 संस्थाओं के खाते खोले गए

विशेष संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों पर सरकार आर्थिक बोझ बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों से भी शहरों की तर्ज पर संपत्तिकर, जलकर, स्ट्रीट लाइन कर अब वसूला जा रहा है। इसके तहत पंचायत स्तर पर हाउस होल्डरों और कारोबारियों के ग्राम पंचायतों में खाते खोले जा रहे हैं। वर्तमान में सात लाख लोगों और 1900 संस्थाओं के खाते खोले गए हैं। इन खाते धारकों से 277.59 लाख वसूले भी गए हैं। सबसे ज्यादा खातेधारक उज्जैन, नरसिंहपुर और बैतूल जिले में हैं। दरअसल, सरकार द्वारा कहा गया है कि पंचायतें अपनी आय बढ़ाएं। इसके साथ ही पंचायतों को तमाम तरह के टैक्स वसूलने के भी अधिकार दिए गए हैं। इसके चलते ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र में माकान, दुकान, मेला-बाजार से टैक्स वसूलने का काम शुरू कर दिए हैं। वही जिन माकान मालिकों के खाते नहीं खोले गए हैं, उनके खाते भी खोले जा रहे हैं, जिससे कि उनसे संपत्तिकर सहित अन्य कर वसूला जा सके। इसके अलावा तहबाजारी भी वसूल की जा रही है। तहबाजारी की राशि का निर्धारण और वसूलने का काम ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर किया जाता है।

बिल्डिंग परमिशन लेना जरूरी

गांवों में माकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा भी जरूरी कर दिया गया। इसे अब धीरे-धीरे सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सरकार का फोकस उन गांवों की तरफ ज्यादा है, जो शहरों के आस पास हैं। इन गांवों में बिना भवन अनुज्ञा के माकान, कालोनी तैयार करने पर कालोनाइजर और मकान मालिक पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि प्रदेश में करीब 291 आवेदन करने वालों से 165140 रुपए वसूले गए हैं। वहीं अब गांवों में भी नगरीय निकायों की तर्ज पर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

स्वच्छताकर की भी वसूली

प्रदेश में स्वच्छता कर के नाम पर ग्रामीणों से 139.06 लाख रुपए की वसूली की गई है। इसे मेला-बाजार और कस्बे के रूप में विकसित हुए ग्राम पंचायतों में सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों को स्वच्छता का वातावरण भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें घर-घर कचारा संग्रहण, सुबह झाड़ू, कचरा प्रबंधन से जुडे कार्य किए जाएंगे।

सबसे ज्यादा वाटर टैक्स वसूली

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जल कर की वसूली की जा रही है। एमपी जल जीवन मिशन और लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी विभाग के जरिए 40 लाख 56 हजार से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिया गया है। 3236 ग्रामों में 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। इन कनेक्शनधारियों से करीब 507.11 लाख वसूला गया है।

मध्य प्रदेश होगा औषधीय हब

संवाददाता, भोपाल। मध्य प्रदेश को औषधीय पौधों का हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इस काम में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आयुष विभाग हर जिले में 1500 औषधीय पौधों का नि:शुल्क वितरण कर रहा है। इसके माध्यम से लोगों को औषधीय पौधों का महत्व बताना है। साथ ही सामान्य बीमारियों में इनसे किए जाने वाले उपचार की जानकारी देना है। यदि कोई व्यक्ति औषधीय पौधों की जानकारी लेना चाहता है तो वह हर जिले में स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इनके संबंध में जानकारी ले सकता है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों में औषधीय पौधों को लेकर जानकारी बढ़ेगी तो भविष्य में वे खुद इस दिशा में काम करेंगे और प्रदेश में औषधीय पौधों की संख्या बढ़ेगी।

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग ने वर्षभर संचालित किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाई है। इसी के तहत आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए इनका नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस योजना के पीछे विभाग के अधिकारियों की मंशा है कि सामान्य बीमारियों में उपचार के काम आने वाले पौधे लोग घरों में लगाएंगे तो जनसामान्य की यह आदत बन जाएगी। इससे औषधीय पौधों का संरक्षण होगा। साथ ही जिनके पास खेत या खाली जमीन है, वे बड़े पैमाने पर इनकी खेती की ओर अग्रसर होंगे।

मिलेगा मार्गदर्शन

औषधीय पौधों से संबंधित जानकारी देने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर व्यवस्था की गई है। हर जिले के औषधालयों पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी लोगों की मदद करेंगे। इस योजना में अन्य विभाग भी जुड़े हैं और यदि कोई इस दिशा में काम करना चाहता है तो उन्हें मार्गदर्शन मिल जाएगा। आयुष विभाग का काम औषधीय पौधों के प्रति जागरुकता लाना है।

इनका कहना है

आयुष आपके द्वार योजना के तहत औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। उद्देश्य आमजन में औषधीय पौधों के प्रति जागरुकता लाना है। लोगों का मार्गदर्शन भी हम करेंगे।

करलिन खोंगवार देशमुख, आयुक्त, आयुष विभाग

किसानों को कीटों से बचाव की बताई विधि और दवा

टीकमगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने गांवों में देखी फसल

संवाददाता, टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. एसके सिंह, डॉ. एसके खरे,डॉ, यूके धाकड़ द्वारा विगत दिवस खरोई, कुर्राई गांवो में सजन धोई, ध्यानी अहिरवार, सुरेंद्र अहिरवार और बृजेन्द्र अहिरवार के खेतों पर मूंगफली, सोयाबीन और उड़द फसलों व मिर्च, बैंगन, भिंडी आदि सब्जियों का अवलोकन किया गया। मूंगफली में टिक्का रोग के लक्षण देखे गए इसके नियंत्रण के लिए कार्बेण्डाजिम मेंकोजेग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या बेनोमिल 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। कुछ पौधों में बडनेकोसिस रोग के लक्षण देखे गए जिसके बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 100 मिली प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सोयाबीन में गर्डल बीटल कीट के नियंत्रण के लिए थायक्लोप्रिड 21.7 एससी 300 मिली इमामेक्टिन बेंजोएट 150 मिली प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन एवं उड़द में पीला मौजेक के रोग के भी लक्षण देखे गये इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने का काम सफेद मक्खी नामक कीट करता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडौलोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल 80 से 100 मिली प्रति एकड़ या थायोमिथोक्साम लैम्ब्डा सायहेलोथ्रिन 50 मिली प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।

» जबलपुर कृषि विवि ने तैयार की किस्म » आईसीएआर में किया गया अनुमोदित

अब शरबती गेहूं होगा ज्यादा स्वादिष्ट

संवाददाता, भोपाल

शरबती गेहूं की नई किस्म से स्वादिष्ट रोटी तैयार होगी। इसकी फसल भी कम दिनों में तैयार हो सकेगी। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ओर से तैयार गेहूं की नई वैरायटी जवाहर वीट 1358 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने रिकमेंडेशन प्रदान कर दी है। पिछले दिनों वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक में इस नई किस्म को सराहा गया। आईसीआर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

बताया जाता है तापमान में परिवर्तन हो रहा है। कभी कम बारिश तो कभी तापमान में वृद्धि हो रही है। जिसके चलते फसलों को भी नुकसान हो रहा है। गेहूं के जीन में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, जो तापमान बदलाव में अपने आप को ढाल सकेंगे। जिससे फ सल को नुकसान नहीं होगा। उपज अच्छी मिलेगी तो वहीं दो बार के पानी में ही फसल तैयार हो जाएगी।

45 क्विंटल पैदावार

इस वैरायटी से 45 क्विंटल तक पैदावार हासिल हो सकेगी, जो कि करीब 8 से दस क्विंटल ज्यादा है। इसके साथ ही 115 से अधिकतम 120 दिन के अंदर इसे तैयार किया जा सकेगा। यह वैरायटी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भी होगी। इस नई वैरायटी का दाना चमकदार और मध्यम गोलाई लिए वाला है। जिसमें 12 प्रतिशत और 75 फीसद तक कार्बोहाईड्रेट होगा। बताया जाता है इस किस्म को पूरी तरह विकसित करने को लेकर पिछले 4 साल से अनुसंधान किया जा रहा था। आईसीएआर ने इस किस्म को अधिसूचित कर दिया है। जल्द ही भारत के राज्य पत्र में भी इसे अनुमोदित करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

इनका कहना है

विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की नई वैरायटी को पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है। यह वैरायटी वर्तमान परिस्थितियों, मौसम परिवर्तन से लड़ने में सक्षम है। राजपत्र में जल्द इसके शामिल होने के बाद किसानों को मिलने लगेगी। हमें उम्मीद है कि किसानों को अच्छा उत्पादन मिलेगा और उनकी आय में इजाफा होगा।

-डॉ. आरएस शुक्ला, वैज्ञानिक कृषि विवि

खेती में नवाचार: भोपाल में लाल भिंडी की खेती कर सब को चौंकाया

किसान ने उगाई लाल भिंडी

» किसान को दाम मिले 300 से 400 रुपए प्रति किलो
» गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए लाभदायक
» किसान मिश्रीलाल बनारस से लाए थे भिंडी का बीज
» अन्नदाता को मिल चुका मप्र कृषि भूषण पुरस्कार

संवाददाता, भोपाल

भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस द्वारा तैयार की गई लाल भिंडी की किस्म अब जल्द ही मध्य प्रदेश के बाजार में भी नजर आएगी। भोपाल के प्रयोगधर्मी किसान मिश्रीलाल राजपूत अपने खेतों में इसकी उपज ले रहे हैं। इससे पहले वे काले गेहूं, नीले आलू की भी खेती कर चुके हैं। हालांकि वे अभी लाल भिंडी का बीज तैयार कर रहे हैं, इसके बाद जब वे व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन लेंगे तो सब्जी की दुकानों पर पीली शिमला मिर्च, लाल पत्ता गोभी, हरी फूल गोभी की कतार में लाल भिंडी भी रखी दिखाई देगी। खजूरीकलां निवासी मिश्री लाल राजपूत ने बताया कि अनुसंधान संस्थान के अनुसार इस भिंडी की इस किस्म पर कीट प्रकोप न के बराबर होता है। साथ ही यह रक्तचाप, मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभदायी है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी यह भिंडी रामबाण बताई जा रही है। वे दिसंबर-2020 में वह लाल भिंडी के एक किलो बीज लेकर आए थे। उन्होंने 40 डेसिमल जमीन में जून में भिंडी की बोवनी की थी। भिंडी की पैदावार शुरू हो चुकी है। राजपूत का दावा है कि भिंडी की गुणवत्ता काफी अच्छी है। बाजार में सामान्य भिंडी की अपेक्षा लाल भिंडी के ज्यादा अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है।

औषधीय गुणों से भरपूर

कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप के बाद कृषि विज्ञानी सब्जियों की इस तरह की किस्में इजाद कर रहे हैं, जिनमें औषधीय गुण मौजूद हों। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हो। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस के मुताबिक लाल भिंडी सेहत के मामले में काफी बेहतर है। इसमें फालिक एसिड पाया जाता है। जो बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। लाल भिंडी में हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसे हृदय के लिए उपयोगी बनाते हैं।

2400 रुपए किला खरीदा था बीज

राजपूत ने बताया कि काफी प्रयास के बाद बनारस से उन्हें लाल भिंडी (काशी लालिमा) का सिर्फ एक किलो बीज 2400 में मिला था। वह फिलहाल लाल भिंडी का बीज तैयार करेंगे, ताकि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन ले सकें। उन्होंने बताया कि जिस तरह लाल पत्ता गोभी सामान्य पत्ता गोभी की तुलना में बाजार में दो से तीन गुना कीमत पर बिकती है। उसी तरह औषधीय गुणों से भरपूर लाल भिंडी भी किसानों को मालामाल कर देगी।

खेती में करते रहते हैं नया प्रयोग

मिश्रीलाल ने यूं तो हायर सेकंडरी तक शिक्षा हासिल की है लेकिन खेती में नवाचार के मामले में वे खासे प्रयोगधर्मी हैं। वे इससे पहले औषधीय खेती में मेंथा, सफेद मूसली आदि आजमा चुके हैं। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चावल काला नमक की भी सफल खेती की है। उन्हें खेती में नवाचार के लिए मध्य प्रदेश कृषि भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

अन्य किसान कर रहे संपर्क

मिश्रीलाल ने बताया कि हरियाणा, पुणे और राजस्थान के किसान फसल की जानकारी के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। पुणे के एक व्यापारी ने भिंडी के लिए 200 रुपए प्रति किलो का ऑफर दिया है, जिस पर मैं विचार कर रहा हूं। हालांकि, अभी मेरे पास भी रेगुलर सप्लाई के लिए ज्यादा माल नहीं है।

अब नीले आलू की खेती करेंगे

मिश्रीलाल अलग-अलग तरह की खेती के लिए जाने जाते हैं। लाल भिंडी से पहले वो काले टमाटर, काला नमक (धान) की खेती कर चुके हैं। मिश्रीलाल ने बताया कि अब वे नीले आलू की खेती करेंगे।

आम भिंडी से 10 गुना महंगी

लाल भिंडी आम भिंडी से 10 गुना महंगी है। 40 रुपए प्रतिकिलो वाली हरी भिंडी के मुकाबले बाजार में इसकी कीमत करीब 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। यह हरी भिंडी की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। हालांकि, आम बाजार में इसकी मांग ज्यादा नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशियन और हेल्थ के लिहाज से मॉल्स और सुपर मार्केट में इसकी डिमांड रहती है।

लाल भिंडी सेहत के लिए 'रामबाण'

इधर, गांधी मेडिकल भोपाल की ऑब्स्टेस्टीशियन एंड गायनेकालॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर डॉ. वरुणा पाठक ने 'जागत गांव हमार' से चर्चा के दौरान कहा कि लाल भिंडी में हार्ट की बीमारी, मोटापा और डायबिटीज को कंट्रोल करने की क्षमता भी होती है। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसे हार्ट के लिए उपयोगी बनाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर लाल भिंडी सेहत के मामले में किसी रामबाण से कम नहीं है। लाल भिंड़ी की कीमत बाजार में सामान्य भिंडी से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा लाल भिंडी स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में बेहद खास खास है। लाल भिंडी में फोलिक पाए जाने के कारण यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के मानसिक विकास में बहुत सहायक है। साथ ही जोड़ों के दर्द के लिए भी यह सहायक है।

इनका कहना है

लाल भिंडी में फोलिक एसिड पाए जाने के कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए लाभदायक है। फोलिक एसिड शरीर में नए रेड ब्लड सेल यानी बनने में मदद करता है। फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है।

डॉ. रूपम अरोरा, गायनेकोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली

प्रेग्नेंसी से पहले महिलाओं को फोलिक एसिड बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जाती है। दवाइयों की जगह अगर महिलाएं लाल भिंडी का सेवन करती हैं तो उससे भी शरीर में फोलिक एडिस की मात्रा बढ़ती है। लाल भिंडी उसकी कमी को पूरा करने में सहायक होती है।

डॉ. प्रियंका मिश्रा, स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेज्ञष, यशोदा हॉस्पिटल, गाजियाबाद

सहकारिता विभाग में सेल्समैन की होगी भर्ती

भोपाल। सहकारिता विभाग में लंबे समय से सेल्समैन की भर्ती को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। सरकार ने नियमों में संशोधन करके 1826 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। एमपी आनलाइन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाएगा। जिला स्तर पर दस्तावेजों की जांच के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सहकारिता विभाग के संयुक्त पंजीयक अरविंद सिंह सेंगर ने बताया कि अभ्यर्थी सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया से मिले थे और रास्ता निकालने का अनुरोध किया था। विभाग ने तय किया है कि दूसरे नंबर के जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। इसके लिए एमपी आनलाइन से चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करके देने के लिए कहा गया है। नियुक्ति में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के लिए शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में 3629 सेल्समैन के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। एमपी आनलाइन के माध्यम से आवेदन बुलाए गए थे और दस्तावेजों के आधार पर मेधा सूची तैयार हुई थी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी मामला अटका रहा। कुछ अभ्यर्थी उच्च न्यायालय भी चले गए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने परिणाम घोषित कर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कराई और 1803 पदों पर नियुक्ति दी गई, लेकिन दस्तावेजों की जांच में 1826 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक गया।

राज्य सरकार ने नियमों में किया संशोधन

फसल बीमा की समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर लगाएं

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 और रबी 2021-22 में योजना के क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एजेंसी का चयन किया है। किसानों का राष्ट्रीयकृत और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल बीमा किया गया है। कृषि विभाग के अनुसार योजना के तहत किसानों को फसल बीमा कंपनी ने टोल फ्री नंबर 18001801551 जारी किया है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर फसल नुकसान की शिकायत किसान स्वयं बीमा कंपनी को भेज सकते हैं। शिकायत व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराने के साथ विकासखंड और जिला स्तर पर बीमा कंपनी ने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का किसानों के लिए एक और बड़ा कदम, अब किसानों को नहीं मिलेगी 50 और 100 रुपए राहत

एक हजार रुपए से कम नहीं मिलेगा फसल बीमा

एक हजार से ज्यादा दावा बनने पर ही किसानों को भुगतान

कम बना क्लेम तो संचित निधि में जमाकर किसान कल्याण में खर्च होगा

संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत किसानों को पचास, सौ या दो सौ रुपए का बीमा नहीं मिलेगा। फसल बीमा क्लेम एक हजार रुपए से कम बनने पर यह राशि किसानों को न देकर एक अलग खाते में जमा की जाएगी। इसे संचित निधि के रूप में रखा जाएगा और किसानों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इस प्रविधान को लागू करने पर कृषि विभाग में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इस बार खरीफ फसलों के लिए 47 लाख किसानों ने फसल बीमा कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी तक फसल को नुकसान होने पर किसानों का जो भी दावा बनता था, उस राशि का चेक उन्हें दे दिया जाता था। कई बार यह राशि पचास रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक होती थी। इसको लेकर विपक्षी दल किसानों का मजाक बनाने का आरोप सरकार पर लगाते थे और किसान भी निराश होता था। दरअसल, फसल को नुकसान पहुंचने पर उसका सर्वे कराकर बीमा की गणना की जाती है। इसमें फसल क्षति के आधार पर जब बीमा बनता है तो कई किसानों को पात्रता अनुसार बहुत कम राशि मिलती थी। इससे किसानों के ऊपर से बैंक ऋण का बोझ भी कम नहीं होता है।

प्रस्ताव तैयार: किसानों की परेशानी और हो रही किरकिरी के बाद विचार किया गया कि किसान को बीमा की राशि तभी दी जाए, जब न्यूनतम दावा एक हजार रुपए से अधिक बने। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी कई बार कह चुके हैं कि हम न्यूनतम राशि तय करेंगे। यदि उससे कम भुगतान की स्थिति बनती है तो फिर वह राशि उसे न देकर अलग खाते में रखेंगे और उसे उनके ही कल्याण पर खर्च करेंगे। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने बताया कि प्रस्ताव तैयार हो चुका है।

2022 में मिलेगा लाभ: अभी ढाई सौ रुपए से कम बीमा बनने पर भुगतान नहीं करके उस राशि का उपयोग किसान हित की योजनाओं में करने की व्यवस्था है। इसके बढ़ाकर एक हजार रुपए किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे किसानों की संख्या बहुत कम होती है जिनका बीमा एक हजार रुपए से कम बने। यह प्रावधान अगले फसल सीजन से लागू किया जा सकता है।

बढ़ रहे बीमा कराने वाले किसान

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में 35 लाख किसानों ने बीमा कराया था। वहीं, 2019 में यह संख्या 37 लाख हो गई। 2020 में रिकॉर्ड 44 लाख किसानों ने बीमा कराया और अब 47 लाख किसान बीमा करा चुके हैं। दरअसल, प्रदेश में सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक किसान फसल बीमा कराएं ताकि जोखिम कम से कम हो।

कब कितना मिला बीमा

2019 में खरीफ फसलों को पहुंचे नुकसान के एवज में बीस लाख 38 हजार 982 किसानों को चार हजार 614 करोड़ का बीमा मिला था। वहीं, 2017 में 17 लाख 17 हजार किसानों को पांच हजार 300 करोड़ की बीमा राशि मिली थी। खरीफ फसल 2020 के लिए बीमा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस बार भी पांच हजार करोड़ रुपए का बीमा किसानों को मिलने की संभावना जताई जा रही है।

वन्य जीवों की प्रचुरता के लिए मशहूर कान्हा

ऋषभ जैन,
जनसंपर्क अधिकारी, मप्र

प्रदेश में स्थापित नेशनल पार्कों के प्रति देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इनमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क। यह पार्क वन सम्पदा, वन्य जीवों की प्रचुरता और जैविकी विविधताओं से लबरेज है। कान्हा नेशनल पार्क विलक्षण और अद्वितीय प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। कान्हा का संपूर्ण वन क्षेत्र वैभवशाली अतीत को आज भी संजोए हुए है, जिसकी वजह से यह पार्क देशी-विदेशी पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचता है।

प्रदेश में स्थापित नेशनल पार्कों के प्रति देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इनमें से एक है कान्हा नेशनल पार्क। यह पार्क वन सम्पदा, वन्य जीवों की प्रचुरता और जैविकी विविधताओं से लबरेज है। कान्हा नेशनल पार्क विलक्षण और अद्वितीय प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। कान्हा का संपूर्ण वन क्षेत्र वैभवशाली अतीत को आज भी संजोए हुए है, जिसकी वजह से यह पार्क देशी-विदेशी पर्यटकों को बरबस अपनी ओर खींचता है। मंडला और बालाघाट जिले की सीमा से लगा यह पार्क प्राकृतिक और पर्यावरणीय गौरव के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से इसका देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्कों में शुमार है। कोर वन मंडल (राष्ट्रीय उद्यान) एवं बफर जोन वन मंडल कान्हा टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत आते हैं। इन दोनों वन मंडल का क्षेत्रफल क्रमश: 940 और 1134 वर्ग किमी है। राष्ट्रीय उद्यान में 91 हजार 743 वर्ग किमी का क्षेत्रफल क्रिटिकल टाईगर हेबीटेट के रूप में अधिसूचित है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के अधीन एक वन्य-प्राणी अभयारण्य सेटेलाइट मिनी कोर-फेन अभयारण्य है, जो 110.74 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। टाइगर रिजर्व में वन्य- प्राणी गणना आकलन 2020 के अनुसार 118 बाघ और 146 तेंदुए मौजूद हैं। बाघों में 83 वयस्क और 35 शावक बाघ हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ता, लकड़ बग्घा, सियार,भेड़िया, भालू (रीछ), लोमड़ी, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, गौर, चीतल, बारासिंघा, सांभर, मेढक-मेढकी, चौसिंघा, नीलगाय, नेवला, पानी कुत्ता (उद बिलाव), सेही, लंगूर, बंदर, मोर प्रजाति के वन्य-जीव उपलब्ध हैं। साथ ही स्तनधारियों की तकरीबन 43 प्रजाति, पक्षियों की 325, सरी सृप की 39, कीट की 500, मकड़ी की 114 और पतंगों और तितलियों की भी अनेक प्रजाति पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। फेन अभयारण्य-टाइगर रिजर्व की विशेष इकाई फेन अभयारण्य है। वर्ष 1983 में 110 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र फेन अभयारण्य घोषित हुआ। यह क्षेत्र वन्य-जीव के आवासीय स्थल के रूप में पिछले वर्षों से, काफी विकसित हुआ हैं। इस क्षेत्र में पूर्व में 38 मवेशी गाय, भैंस रहकर वन क्षेत्र को नष्ट किया करती थी। वर्ष 1997-98 के मध्य यहाँ से सभी शिवरों को विशेष मुहिम से हटा दिया, तब से यहाँ के वन काफी अच्छे हो गए हैं जिससे अब यहाँ बाघ, तेंदुआ, बायसन, चीतल, सांभर, जंगली कुत्ता आदि विचरण करते दिखाई देते है। कान्हा से 4 किमी की दूरी पर श्रवणताल है। पौराणिक मान्यता अनुसार राजा दशरथ के तीर से मातृ-पितृ भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु इसी स्थान पर होना माना जाता है। यहां कई साल पहले तक मकर संक्राति का मेला लगता था। श्रवणताल में वर्ष भर पानी रहता है, जिसके कारण नीचे स्थित मेन्हरनाला और देशीनाला क्षेत्र में पानी रिसने से हमेशा नमी बनी रहती है, जो बाघ के लिए उपयुक्त आवास है। बारासिंघा पानी में घुसकर यहां जलीय पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। किसली मैदान पार्क का यह मुख्य प्रवेश द्वार है। वर्ष 1986-87 में यहां बसे लोगों को पार्क के बाहर कपोट बहरा में विस्थापित किया गया था। ढ़ाई दशक पहले यहां आरा मिल का ऑफिस लगा करता था। किसली परिक्षेत्र के उत्तर पूर्व पहाड़ी में एक बैलेंसिंग रॉक संतुलित चट्टान पर अपना संतुलन बनाये रखी है। इस क्षेत्र को डिगडोला कहते हैं। आदिवासियों के लिए यह पूजा स्थल के रूप में विख्यात है। कान्हा के चारों ओर घास के मैदान स्थित हैं। यहां पहले खेती हुआ करती थी। विस्थापन में 26 परिवारों को वर्ष 1998-99 में मानेगांव में बसाया गया। इसके बाद खेत घास के मैदान में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण शाकाहारी वन्य-प्राणियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई। देशीनाला में बना एनीकट जल संवर्धन के साथ वन्य जीवों के लिए बहु-उपयोगी माना जाता है। इस एनीकट का निर्माण 72 साल पहले हुआ था। कान्हा से 3 कि.मी. की दूरी पर चुहरी क्षेत्र है। पानी वाली जगह का चुहरी कहा जाता है। यह क्षेत्र बाघों के आवास के लिए उपयुक्त माना जाता है। बारासिंघा फेंसिंग का निर्माण पचास साल पहले हुआ था। बारासिंघा का संवर्धन इसी क्षेत्र में ही किया जाता है। इनके संबंध में अनुसंधान/अनुश्रवण आदि के कार्नीवोरस प्रूफ फेंसिंग के अंदर कुछ बारासिंघा को आवश्यकतानुसार यहां पर रखा जाता है। बारासिंघा की संख्या में वृद्धि होने पर उन्हें बाद में मुक्त कर दिया जाता है। कान्हा-मुक्की मार्ग में बिसनपुरा मैदान स्थित है। पहले इस स्थान में छोटा गांव हुआ करता था। वर्ष 1974-76 के मध्य यहां से 13 परिवारों को विस्थापित करके भिलवानी वनग्राम समूह में बसाया गया। वर्तमान में इस स्थान में काफी अच्छे चारागाह विकसित हो जाने से, काफी संख्या में पर्णभक्षी आते हैं। पानी की प्रचुर मात्रा रहने से कान्हा की तरफ से पहाड़ पार से वन्य-जीव का इधर आवागमन काफी अच्छा रहता है। इस इलाके में बारहसिंगा, चीतल, बायसन, जंगली सुअर, भालू और गिद्ध दिखाई देते हैं। कान्हा-मुक्की मार्ग पर सोढर मैदान स्थित है। पहले इस जगह गांव हुआ करता था। वर्ष 1974-76 के बीच यहां 11 परिवारों को विस्थापित कर अन्यत्र बसाया गया। सोंढर तालाब काफी पुराना है। खेतों की जगह चारागाह विकसित हुए जो बारासिंघा के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में एक ही क्रम में पांच तालाब है, जो ऊपर से नीचे घटते क्रम में है। इसके कारण जल संवर्धन का उचित उपयोग होने से क्षेत्र बारहसिंगा, वाइल्ड बोर, चीतल और वायसन के लिए यह उपयुक्त है। सोंढर से कुछ दूरी पर घोरेला मैदान है। वर्ष 1974-76 के पहले यहां गांव था जिसमें से 22 परिवारों को विस्थापित करके मुक्की एवं धनियाझोर में बसाया गया। यहां बारासिंघा काफी दिखाई देते हैं। बिसनपुरा से कुछ दूरी पर मुक्की की तरफ खापा तिराहे पर, मार्ग के किनारे लपसी कबर है। लपसी वन्य-जीवों का ज्ञाता था। पूर्व में जब शिकार की अनुमति थी तब वह शिकारियों का सहयोगी था। ऐसी किवदंती है, कि लपसी, बाघ के शिकार के समय अपनी पत्नी को गारे के रूप में प्रयोग किया करता था। एक दिन शिकार के समय बाघ द्वारा उसकी पत्नी पर हमला बोलने पर वह स्वयं बाघ से भिड़ गया जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। मान्यता यह भी है कि लपसी की कब्र में पत्थर चढ़ाने पर बाघ दिखाई देता है। औरई मार्ग पर स्थित सौंफ क्षेत्र पहले गांव था। आज से 52 साल पहले इस गांव के 29 परिवारों को भानपुर खेड़ा ग्राम में विस्थापित किया गया था। वर्तमान में अच्छे खासे-घास के मैदान हैं। यह क्षेत्र बारासिंघा के लिए मुरीद माना जाता है। जल संवर्धन के लिए कई तालाब तथा डेम हैं। क्षेत्र में बारासिंघा और चीतल मुख्य रूप से है। वर्ष 1993 के जुलाई माह में वनरक्षक स्व. चंदन लाल वाकट शिकारियों के साथ लड़ते हुए, यहीं पर शहीद हुए थे। तब से इस सर्किल का नाम चंदन सर्किल है। सौंफ क्षेत्र बारासिंघा के लिए सर्वश्रेष्ठ आवास स्थल है। सौंफ से 4 किमी दूरी पर रौंदा क्षेत्र स्थित है। यह क्षेत्र भी पहले गांव था।

उत्तरी भारत पर मंडरा रहा वायु प्रदुषण का खतरा

खेतों में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार का सक्रिय होना समय की मांग है, क्योंकि इस माह के आखिर तक उसे जलाए जाने का सिलसिला कायम हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में वायु प्रदूषण का गंभीर रूप लेना तय है। वैसे तो केंद्र सरकार हर साल इसके लिए जतन करती है कि राज्य सरकारें और खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकें, लेकिन वे ऐसा मुश्किल से ही कर पाती हैं। यह तब है जब बीते कई सालों से राज्य सरकारों को इसके लिए कहा जा रहा है कि वे ऐसे प्रबंध करें, जिससे किसान अपने खेतों में पराली न जलाएं। जिस तरह राज्य सरकारें पराली प्रबंधन में नाकाम हैं, उसी तरह किसान भी फसलों के अवशेष जलाए जाने से होने वाले नुकसान से परिचित होने के बावजूद उसे जलाना ही बेहतर समझते हैं। पहले यह समस्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी, लेकिन अब देश के अन्य हिस्सों में भी फसलों और खासकर धान के अवशेष जलाए जाने का सिलसिला कायम हो गया है। इसका एक कारण फसलों के अवशेष की उपयोगिता न रह जाना और दूसरा, उसके निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था न हो पाना है। यदि फसलों के अवशेष के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो उसे जलाए जाने से रोकना मुश्किल ही होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्र सरकार ने उन राज्यों की बैठक बुलाई है, जहां पराली बड़े पैमाने पर जलाई जाती है, क्योंकि इस तरह की बैठकें पहले भी होती रही हैं और अभी तक के नतीजे कोई बहुत उम्मीद नहीं जगाते। इस बार तो इसकी भी आशंका है कि किसान संगठनों के आंदोलनरत रहने के कारण राज्य सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोकने में कामयाब नहीं होने वालीं। यदि वे पराली दहन के खिलाफ सख्ती बरतती हैं तो किसान संगठन उसकी व्याख्या इस रूप में कर सकते हैं कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक निराशाजनक बात यह भी है कि वायु गुणवत्ता आयोग विभिन्न राज्यों के पराली एक्शन प्लान से संतुष्ट नहीं है। उसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लान में संशोधन करने का निर्देश दिया है। उम्मीद है कि यह संशोधन सही तरह होगा और उस पर ढंग से अमल भी होगा। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले अन्य कारणों की पहचान कर उनका भी निवारण करें। इस काम में भी वैसी ही सक्रियता दिखाई जानी चाहिए जैसी पराली जलाने से रोकने के लिए दिखाई जा रही है।

पशुओं में विटामिन की कमी को पालक न करें अनदेखा

डॉ. सविन भोंगरा,
पशु विशेषज्ञ
करनाल, हरियाणा

जिस तरह से इंसानों में दूसरे तत्वों की तरह ही विटामिन जरूरी होता है, उसी तरह पशुओं की भी अच्छी सेहत के लिए विटामिन जरूरी होता है। विटामिन ऐसे तत्व हैं, जिनसे कोई उर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

जिस तरह से इंसानों में दूसरे तत्वों की तरह ही विटामिन जरूरी होता है, उसी तरह पशुओं की भी अच्छी सेहत के लिए विटामिन जरूरी होता है। विटामिन ऐसे तत्व हैं, जिनसे कोई उर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन शारीरिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। दूध देने वाले पशुओं के शरीर से दूध स्त्रावित होने पर विभिन्न प्रकार के विटामिन भी विभिन्न प्रकार के विटामिन दूध स्त्राव के साथ शरीर से बाहर आते हैं। जिनकी आपूर्ति आम तौर पर वातावरण, पानी और पशु आहार से हो जाती है। सभी विटामिनों का एक अपना अपना महत्व होता है। जिनकी कमी होने पर शरीर में कई प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग बीमारी उत्पन्न होती है। विटामिन ए पशुओं को हरे चारे से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। विटामिन डी धूप से उपलब्ध हो जाती और कुछ विटामिन पशु खुद से किण्वन प्रकिया से अपने आप बना लेते हैं। फिर भी दूधारू पशुओं में विटामिन की कमी रह जाती है।

पशुओं में खासतौर से ज्यादा दूध देने वाले के पूरक आहार के रूप में विटामिन खासतौर से देने चाहिए। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, डी और ई वसा में घूलनशील होतें हैं। विटामिन डी व ई एडिपोस टिस्यू में सग्रहित होतें है, विटामिन ए यकृत में सग्रहित होते हैं। पानी में घूलनशील विटामिन बी व सी ग्रुप में होते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में विटामिन बी व सी उदर में मौजूद जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। आमतौर पर इन विटामिन की कमी कम ही देखने को मिलती है। विटामिन ए की कमी होने पर पशुओं में लक्षण, भूख कम लगना। पशुओं की चमड़ी में सूखापन और खुरदरी चमड़ी और सूखापन। बालों का झड़ना। अंधापन और आंखों की रोशनी कम होना। पशु गर्मी में न आना या बार बार रिपीट होना। हर विटामिन का अपने स्थान पर अपना महत्व है। विटामिन पशु शरीर में स्टोर नहीं कर सकता। आज कल पशुपालक भाइयों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। पशुओं में विटामिन और मिनरल की कमी के कारण कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पशुपालक विचलित हो जाता है। पशु पालक कम जानकारी के पशु चिकित्सकों को बुलाता है। जिन्हें मालूम नहीं हो पाता शरीर में कोई बैक्टीरिया के कारण कोई बीमारी नहीं है। विटामिन या मिनरल की कमी के कारण ये बीमारी उत्पन्न हुई है। उसकों विटामिन मिनरल नहीं देते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक दवा देकर पशुपालक का और जीव आर्थिक और मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। सभी पशुपालकों से निवेदन है कि पशुओं को अच्छा पशु आहार खिलाएं हर पशुओं को खनिज मिश्रण दें। बीमार होने पर अच्छे पशु चिकित्सकों को बुलाना चाहिए।

एक ही हितग्राही के नाम जारी कर दी 29 किसानों की 35 लाख सब्सिडी

» प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बड़ा घोटाला

» आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने दर्ज किया प्रकरण

» सहायक संचालक पर भी दर्ज हुआ मामला

संवाददाता, उमरिया

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हितग्राही कृषकों को सामग्री वितरित करने के नाम पर बड़े घोटाले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले में 29 हितग्राहियों को मिलने वाली सुविधा एक ही व्यक्ति के नाम से 60 फर्जी प्रकरण बनाकर घोटाला किया गया है। किसानों से जुड़ा मामला होने के कारण ईओडब्ल्यू मुख्यालय से इस मामले पर नजर रखी जा रही है।

मामला उमरिया जिले के मानपुर ब्लाक का है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह घोटाला वर्ष 2017-18 में किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई संयंत्र की स्थापना में किया गया। जांच में पाया गया कि उद्यानिकी विभाग उमरिया में पदस्थ रहे तत्कालीन प्रभारी सहायक संचालक रामबहादुर पटेल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों और देवास के सप्लायर (विक्रेता) त्यागी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर 60 फर्जी प्रकरण तैयार किए। इसमें बताया गया कि 29 हितग्राहियों को साढ़े पैंतीस लाख से अधिक की सुविधा प्रदान की गई। यह राशि आरोपियों ने अपने पास रख ली।

किसानों से धोखा

यह भी पता चला कि इस योजना में एक किसान को कम से कम सात वर्ष की अवधि में एक बार ही लाभ दिया जाना था, लेकिन आरोपियों ने एक ही वित्तीय वर्ष में 29 लोगों के नाम पर कई बार ड्रिप सामग्री देने का प्रकरण तैयार कर लिया। जिन किसानों के नाम पर सामग्री आवंटित होना बताया गया था, उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार ही ड्रिप सिंचाई सामग्री प्राप्त हुई है।

अब केस दर्ज

कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि एक बार में मिली सामग्री भी पूरी नहीं थी। ईओडब्ल्यू मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले में रामबहादुर पटेल और देवास के सप्लायर सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

और मामलों की भी जांच

इस मामले के राजफाश के बाद उमरिया जिले के अन्य विकासखंडों में किसानों को ड्रिप सिंचाई संयंत्र प्रदान करने के संबंध में जांच कराई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अन्य मामलों की जांच में भी बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आने के साक्ष्य मिले हैं।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव

छोटे किसानों को भी मिलेगी कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी

संवाददाता, भोपाल

किसान खेतों में फसल बोता है और कटने तक उसके परिवार के शेष सदस्य उसकी रखवाली में लगे रहते हैं। अगर फसल की सुरक्षा के लिए किसान को कोई और विकल्प मिल जाए तो वह अन्य विकल्पों से अपनी आय को बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर मप्र सरकार जल्द ही छोटे किसानों को खेतों में तार फेंसिंग (बाड़) लगाने के लिए बैंक से लोन दिलाने की तैयारी कर रही है। यही नहीं छोटे किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज शुरू करने में मदद करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ 60 बड़े व्यापारियों को मिल पाती है। विभाग ने मुख्यमंत्री को दिए प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि इसका लाभ छोटे किसान व व्यापारियों को दिया जा सकता है। ऐसे किसान पांच से आठ टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज तैयार करें, सरकार इसमें उनकी मदद करेगी। किसानों को आय दोगुना करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है।

ऐसे आय होगी दोगुनी

तार फेंसिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जब किसान के पास होगा तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग काम करने को मिलेगा। जिससे उनकी खेती लाभ का धंधा बनेगी। सभी सदस्यों के पास स्वरोजगार होगा। यह तीनों ही कार्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल कर दिए गए हैं। जिसका लाभ हर किसान ले सकेगा। किसान प्रति हेक्टेयर 3 लाख 81 हजार रुपए का लोन ले सकेगा। जिसका 50 फीसदी अनुदान मध्यप्रदेश सरकार देगी। किसान आसान किस्तों में बैंक को 1 लाख 90 हजार 500 रुपए वापस करेगा। जिससे खेत में खड़ी फसल को बेसहारा जानवरों से बचाया जा सके।

कोल्ड स्टोरेज बनवाएं, सब्जी सड़ने से बचाएं

कच्ची खेती करने वाले वे किसान जो अपने खेत में फल, सब्जी उगा रहे हैं। ऐसे किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें सही दाम नहीं मिल पाते और मंडी व्यापारी कम दाम पर फसल खरीद लेते हैं। किसान इस डर से फसल बेच देता कि वह घर वापस ले जाएगा तो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास सुरक्षित रखने के लिए न तो स्थान होता है न किराए के कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए पैसा। ऐसे किसानों की समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने कोल्ड स्टोरेज तैयार कराने की दिशा में कदम उठाया है। अब किसान अपने खेत पर पांच टन से लेकर आठ टन तक का कोल्ड स्टोरेज तैयार कर सकता है। जिसके लिए वह बैंक से लोन ले सकता है और लोन में प्रदेश सरकार 25 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से अनुदान देगी, जो अधिकतम ढाई लाख रुपए हो सकती है।

फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, 35 फीसदी तक अनुदान पाएं

किसान अपने खेत में फल, सब्जी, अनाज जो भी पैदा करता है उसे सीधे बाजार में बेचने की अपेक्षा उसका प्रोडक्ट तैयार कर खुद बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसके लिए शासन ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किसान को 25 से 35 फीसदी अनुदान देने की पहल की है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार दो लाख से लेकर एक करोड़ तक की यूनिट लगा सकता है।

प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान की आय दोगुनी हो, इसी दिशा में कदम उठाया गया है। अब किसान खेत पर तार फेंसिंग कराए या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए अथवा कोल्ड स्टोरेज बनवाए। इन सभी के लिए बैंक से लोन मिलेगा, जिसे चुकाने में प्रदेश सरकार साथ देगी। जिससे किसान अपनी पैदावार का सही दाम ले और आय दोगुना करें।

भारत सिंह कुशवाह, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार)

कूनो नदी पर डैम की डीपीआर बनेगी, 400 गांवों में होगा सर्वे

» बाढ़ से बचाव की पहलः अब कोलारस के विधायक आए आगे

» बदरवास में बांध को लेकर तीन साल से चल रही प्रक्रिया बढ़ी

खेमराज मौर्य, शिवपुरी

कोलारस विधानसभा की बदरवास तहसील में कूनो नदी पर बांध बनाने के लिए डीपीआर का टेंडर खुल गया है। भोपाल की महाना वेंचर्स को डीपीआर बनाने का काम सौंप दिया है। यह कंपनी कोलारस, बदरवास, पोहरी सहित श्योपुर जिले के 400 से अधिक गांवों का सर्वे करेगी। बदरवास तहसील में कूनो नदी पर बांध बनने से कितने गांवों तक नहर से पानी पहुंच पाएगा, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि जल संसाधन विभाग के ईएनसी ऑफिस भोपाल जाकर ईएनसी मदन डावर से मुलाकात कर टेंडर खुलवाए हैं। डीपीआर बनाने के लिए मेसर्स महाना वेंचर्स भोपाल को यह कार्य सौंपा जा रहा है। अगली बारिश के पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर स्वीकृति के लिए आगामी कार्यवाही होगी। इस प्रोजेक्ट को केंद्र की सिंचाई योजना में सितंबर 2019 में जुड़वा दिया था। योजना की स्वीकृति मिलने से शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, श्योपुर कुल चार विधानसभाओं में सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलेगा। विधायक का कहना है कि कूनो बांध की डीपीआर के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफी सहयोग मिल रहा है।

7 लाख बीघा में होगी सिंचाई

विधायक रघुवंशी का मानना है कि बांध के साथ-साथ सिंचाई परियोजना की लागत 6 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है। बांध बनता है तो इससे 7 लाख बीघा जमीन में सिंचाई की सुविधा की उम्मीद लगाई जा रही है। सिंचाई परियोजना पर काम तेजी से होता है तो आने वाले समय में यह कदम कोलारस विधानसभा में हरित क्रांति लाने वाला साबित होगा।

मेहनत रंग लाईः गोबर व गोमूत्र से बनेगी सीएनजी व जैविक खाद

ग्वालियर। जिन गायों को बूढ़ी और बेकार समझ कर लोग सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, उन्हें संरक्षण देने वाली ग्वालियर की लाल टिपारा गोशाला से निकलने वाले गोबर व गोमूत्र से सीएनजी व जैविक खाद बनेगी। इससे सालाना करीब छह करोड़ रुपये की कमाई होगी। वर्ष 2017 में ग्वालियर के मुरार में नगर निगम की लाल टिपारा गोशाला में 90 दिन के भीतर 1092 निराश्रित गायों की मौत हो गई। इस पर काफी हंगामा मचा और लोग इसे गायों की कब्रगाह कहने लगे। इसके एक साल बाद 2018 में हरिद्वार से श्रीकृष्णायन देशी गोरक्षाशाला के संत ग्वालियर पहुंचे, फिर उन्होंने

गोशाला की व्यवस्था हाथ में ली और इसकी काया ही पलट दी। केंद्र सरकार ने सीएनजी प्लांट लगाने के लिए नगर निगम से किया अनुबंधः लालटिपारा गोशाला में एक साथ 7000 व समीप स्थित गोले का मंदिर गोशाला में 2000 गोवंश देख भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने ग्वालियर में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए नगर निगम से अनुबंध किया है। एक गाय 6 से 8 किलो गोबर रोज देती हैं। 9000 गायों से प्रतिदिन 54 हजार किलो गोबर मिलता है। इससे रोज 1000 किलो सीएनजी व 360 किलो जैविक खाद तैयार होगी। नगर निगम ग्वालियर को इससे सालाना करीब पांच करोड़ 91 लाख रुपये की कमाई होगी।

गोकाष्ठ से सुधर रहा पर्यावरणः गोशाला में गाय के गोबर से गोकाष्ठ (गोबर और भूसे को मिलाकर बनाया जाने वाला उत्पाद, जो कंडे जैसा होता है) तैयार किया जाता है। यह शहर के मुक्तिधामों में अंतिम संस्कार के काम आता है। यह लकड़ियों से तीन गुना कम कीमत पर मिलता है। अनुमान के मुताबिक एक अंतिम संस्कार में 300 किलो लकड़ी लगती है, लेकिन गोकाष्ठ के कारण काफी कमी आई है।

इनका कहना है

गोशाला में सीएनजी प्लांट की स्थापना की जा रही है। इससे निगम को गायों की देखभाल में होने वाला खर्च आधा हो जाएगा। रानीघाटी गोशाला में पराली से भूसा तैयार किया जा रहा है। यहां काफी जंगल है इसलिए गायों के चारे का खर्च भी आधा ही आता है।

अच्युतानंद महाराज, संत, श्रीकृष्णायन देशी गोरक्षाशाला, हरिद्वार

बेसहारा गायों से होगी सालाना छह करोड़ की आमदनी

इन वजहों से भी खास है गोशालाः

- गोशाला के अंदर आक्सीजन जोन बनाया है, जिसमें 5000 पौधे लगाए गए हैं।
- गोशाला में गोसंवर्धन कार्य हो रहा है। यहां गिर, साहीवाल और मालवीय नस्ल तैयार हो रही है।
- हाइवे पर एक्सीडेंट के कारण चोटिल गायों को गोशाला में उपचार के लिए लाने हेतु 15 लाख रुपये की लागत से एंबुलेंस तैयार की गई है। इसमें एक साथ पांच घायल गायों को लाया जा सकता है।

-सीएम की दो टूक-राशि वितरण नहीं होना चहिए भ्रष्टाचार

बाढ़ प्रभावितों को अब तक 109.89 करोड़ मिली राहत

एक क्लिक करते ही पीड़ितों के खातों में पहुंच गई राशि

खेमराज मौर्य

शिवपुरी। ग्वालियर-चंबल अंचल के साथ के साथ-साथ विदिशा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए हाल ही में सीएम शिवराज सिंह ने सिर्फ क्लिक करते हुए राहत राशि हितग्राहियों के खाते के लिए ट्रांसफर कर दी है। इस अवसर पर ग्वालियर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी बात की। सीएम ने कहा कि राशि प्रदान करने के पूर्व हितग्राहियों के संबंध में दावे-आपत्ति का विकल्प भी दिया गया। कृषि फसलों की हानि के लिए अलग से राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि वितरण में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है।

नौ जिले ज्यादा प्रभावित

मुख्यमंत्री ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को सर्वोच्च प्राथमिकता से राहत राशि और अन्य सहायता प्रदान की गई है। संबंधित जिलों के कलेक्टर सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही सहायता प्राप्त करने से चूक न जाए। 9 जिलों के 24 हजार 529 हितग्राहियों को 31 करोड़ 51 लाख की राहत राशि का अंतरण कर रहे थे। प्रदेश में अब तक 1 लाख 27 हजार बाढ़ प्रभावित नागरिकों को 109 करोड़ 89 लाख की राहत राशि वितरित की जा चुकी है।

चस्पा करो सूची

सीएम ने कहा कि प्रदेश में गत दो माह संकट के रहे हैं। एक तरफ बाढ़ की स्थिति थी, वहीं दूसरी तरफ करीब डेढ़ दर्जन जिले कम बारिश से प्रभावित हुए हैं। हम नागरिकों और सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। सरकार ने प्रयास किया कि हर परिस्थिति में जनता को संकट से निकालें। विशेष योजना बनाकर बाढ़ प्रभावितों को विभिन्न तरह की क्षति के लिए राशि प्रदान करने का कार्य किया गया है। पंचायत भवन पर हितग्राही सूची चस्पां कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने से किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो सकी।

-ई-कामर्स कंपनियों को आमंत्रित करने की तैयारी

विदेश में बिकेगी मध्य प्रदेश की शहद

संवाददाता, भोपाल। प्रदेश के जंगलों से निकलने वाली शहद अब न सिर्फ प्रदेश, बल्कि देश-दुनिया में मिठास घोलेगी। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ की कंपनी विंध्य हर्बल ई-कॉमर्स कंपनियों को आमंत्रित करेगी। इसके लिए अगले माह टेंडर निकाले जा सकते हैं। इसके बाद प्रदेश के जंगलों की शहद एवं विंध्य हर्बल के अन्य उत्पाद अमेरिका, इटली, फ्रांस सहित अन्य देशों में आनलाइन खरीदे जा सकेंगे। राष्ट्रीय वन मेला और विभिन्न प्रदेशों में अपने स्टाल लगाकर एक दशक से अपने उत्पादों के लिए बाजार तलाश रही कंपनी विंध्य हर्बल ने अब अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरफ रुख किया है। कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों को आमंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल विदेश उत्पाद भेजने के लिए जरूरी लाइसेंस प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। प्रक्रिया इसी माह पूरा करने का लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

राष्ट्रीय बाजार में उतारे उत्पाद

विंध्य हर्बल देश में आनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों के माध्यम से अपने 18 उत्पाद बाजार में उतार चुकी है। इसमें अश्वगंधा, गिलोय, सफेद मूसली, कालमेघ आदि पावडर, विंध्य पौष्टिक चूर्ण, लवण भास्कर, त्रिफला, त्रिकटु, हिंगाष्टक आदि चूर्ण, च्यवनप्राश, विंध्य पीड़ाहारी तेल, गिलोय-त्रिफला, अध्वगंधा कैपसूल, अर्जुन हर्बल चाय, आयुष-64, फारेस्ट हनी, इम्युनिटी बूस्टर आदि शामिल हैं।

इनका कहना है

विंध्य हर्बल के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं। इसे लेकर कार्रवाई चल रही है।

- पुष्कर सिंह, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ

-मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर व्यापारियों उठाई मांग

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में रेलवे ट्रैक, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट टर्मिनल भी जरूरी

संवाददाता, इंदौर। किसानों की बेहतरी, शहर में ट्रैफिक की समस्या और एक्सपोर्ट के मद्देनजर सालों पुरानी छावनी अनाज मंडी को कैलोद-माचला स्थित 100 एकड़ जमीन पर शिफ्ट कर एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाने के मामले में एक बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों से सुझाव लिए गए। इस पर अधिकांश व्यापारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में हर अनाज व्यापारी साथ है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मंडी में पहले किसानों-व्यापारियों का हितों का ध्यान रखा जाए। इसमें रेलवे ट्रैक पास हो ताकि भाड़ा कम लगे और माल लाने-ले जाने में सुविधा हो। ऐसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट टर्मिनल भी बनाए जाए ताकि गति मिले। व्यापारियों ने कहा कि मौजूदा छावनी अनाज मंडी 17 एकड़ में है, लेकिन शहर के मध्य स्थित होने से न केवल किसानों, व्यापारियों व लोगों को बिगड़ते ट्रैफिक के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दूसरा बीते सालों में कारोबार इतना बढ़ गया है कि अब 17 एकड़ जमीन कम पड़ने लगी है। मंडी से जुड़े एक हजार से ज्यादा किसान व व्यापारी हैं और रोज 40 करोड़ तक का व्यापार होता है। अब कारोबार और बढ़ता जा रहा है, लेकिन मंडी रहवासी क्षेत्र में होने से दोनों पक्षों को ही परेशानी होती है। सबसे ज्यादा समस्या मंडी की कम जगह और ट्रैफिक की है। ऐसे में 100 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनाया जाना अच्छी पहल है, लेकिन हमारे सुझावों पर सही तरीके से अमल किया जाना जरूरी है।

यह रहे मौजूद

बैठक में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड, महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक जीतू जिराती, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, कृषि उपज व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोज काला, इंदौर तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर असावा, प्रदेश महासंघ के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल, मंत्री तरुण मंगल सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।

ताकि कम समय लगेः मंडी के पास रेलवे ट्रैक हो जिससे माल लाने-ले जाने में भाड़ा व समय कम लगे। अभी 500 रुपए प्रति क्विंटल भाडा है, जबकि माल गाडी से 175 रुपए प्रति क्विंटल।

40 लाख तेंदूपत्ता श्रमिकों की बोनस राशि में होगा इजाफा!

संवाददाता, भोपाल। प्रदेश में करीब 40 लाख तेंदूपत्ता श्रमिकों की बोनस राशि में 10 फीसद की वृद्धि की जा रही है। यानी आने वाले समय में श्रमिकों को लाभांश की 80 फीसद राशि बतौर बोनस मिलेगी। यह राशि अधोसंरचना विकास की राशि में कटौती कर बढ़ाई जा रही है। मप्र राज्य लघु वनोपज संघ 22 सितंबर को प्रस्तावित संचालक मंडल की बैठक में यह प्रस्ताव ला रहा है। जिस पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। ऐसा करने से संघ के अध्यक्ष के तीन फीसद राशि स्वविवेक से खर्च करने के विशेषाधिकार पर भी कैंची चलेगी। वनोपज संघ हर साल औसत एक हजार करोड़ रुपए का तेंदूपत्ता बेचता है। तेंदूपत्ता बिकने से करीब 500 करोड़ रुपए लाभ होता है। इसमें अब तक 70 फीसद राशि बतौर बोनस श्रमिकों को बांटी जाती है। जबकि 15 फीसद राशि तेंदूपत्ता श्रमिकों के ग्रामों में अधोसंरचना विकास और शेष 15 फीसद राशि से पौधारोपण पर खर्च होती है।

अध्यक्ष के विशेषाधिकार की राशि पर भी चलेगी कैंची

-अब लोग महुआ पूरी और गुलगुले का भी चख सकेंगे स्वाद

-एक संस्था बना रही व्यंजन, ग्रामीणों को महुआ के मिलेंगे अच्छे दाम

-आंवला, अर्जुन छाल, शहद और महुआ के प्र-संस्करण की योजना

मंडला में महुआ से बनेंगे पकवान

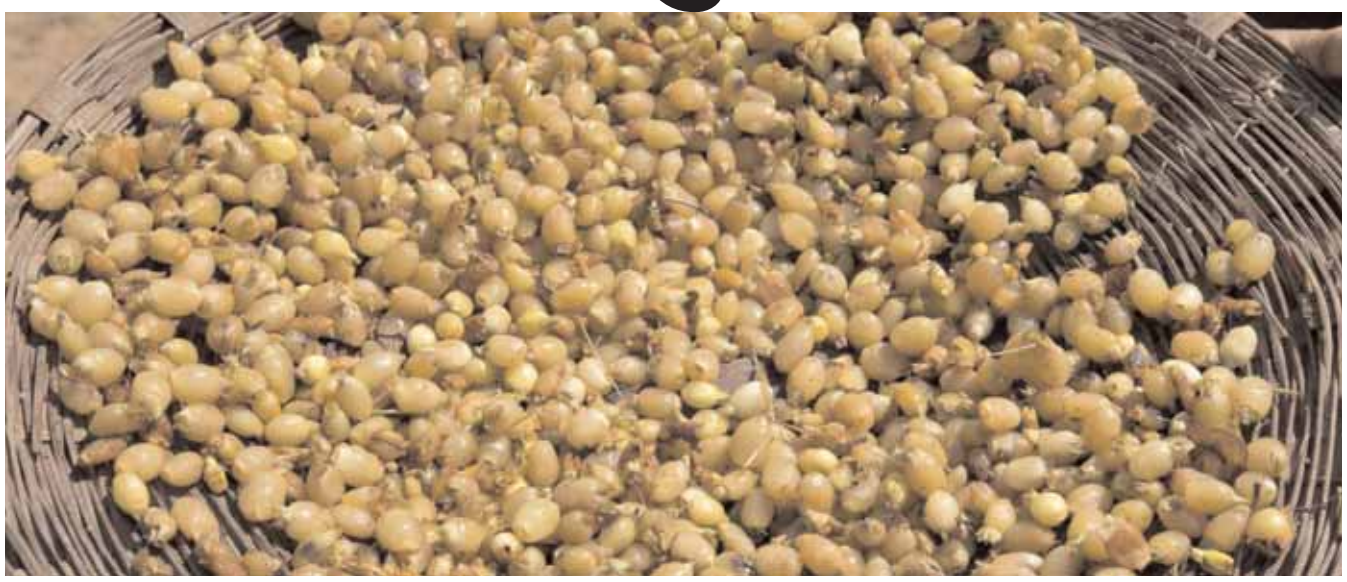

सैय्यद जावेद अली

मंडला। अब तक महुआ से देसी शराब बनाने के बारे में ही सुना जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के मंडला जिले में महुआ से बने पकवान व व्यंजन का स्वाद भी लोग चख सकेंगे। जिले की एक संस्था ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। चटपटी कैंडी और मुरब्बा बाजार में आ चुके हैं, जिनका स्वाद लोगों को भा रहा है। अब संस्था महुआ के लडडू, पूरी, गुलगुले और बिस्किट बनाने का तरीका सिखाने के साथ ही खुद उत्पाद बनाकर उपलब्ध कराने की तैयारी में है। महुआ का उपयोग यदि पकवान, व्यंजन बनाने में बढ़ गया तो फिर ग्रामीणों को महुआ के अच्छे दाम मिल सकेंगे। सेंटर आफ डिस्कवरी फार विलेज डेवलपमेंट (सीडीवीडी) के डायरेक्टर निसार कुरैशी ने बताया कि करीब एक वर्ष से महुआ कैंडी और मुरब्बा बनाना शुरू किया है। अभी तक करीब एक क्विंटल खपत हो चुकी है। इन्हें सौ व दो ग्राम के पैकेट बनाकर भोपाल, नागपुर और इंदौर भी भेजा गया है। गौरतलब है कि महुआ औषधीय गुणों से युक्त होता है। इससे कैल्शियम, आयरन की कमी दूर होती है और यह एंटी बायोटिक होता है।

बन रहे व्यंजन

महुआ पूरी: एक किलो आटे में एक पाव महुआ का पेस्ट मिलाकर पूरी को तेल में तला जाता है।

चटपटी कैंडी: एक किलो महुआ और 20-20 ग्राम अजवाइन, जीरा, अदरक पावडर, काली मिर्च व 70 ग्राम काला नमक स्वाद के अनुसार डाला जाता है।

महुआ लड्डू: सूखे महुआ को पीस कर सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट घी में फ्राई करके लड्डू बनाए जाते हैं।

मुरब्बा: शक्कर की चासनी में महुआ को डाला जाता है। एक किलो चासनी में दो ग्राम साइट्रिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है।

गुलगुले: महुआ को उबाल कर पेस्ट बनाया जाता है। आधा आटा व आधा पेस्ट मिलाकर गुलगुले बनाए जाते हैं। गुलगुले (मीठी भजिया) में स्वाद बढ़ाने के लिए किसा हुआ नारियल, चिरोंजी और कुछ ड्रायफ्रूट भी डाले जाते हैं।

इनका कहना है

महुआ से कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। महुआ बिस्किट, जैम और महुआ अचार भी बनाने का विचार है। महुआ से बने व्यंजन लोगों को भा रहे हैं।

-निसार कुरैशी, डायरेक्टर, सीडीवीडी संस्था, मंडला

एक साल से महुआ कैंडी का उपयोग कर रहा हूं। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। हमारे यहां कलादीर्घा से भी इनका विक्रय किया जा रहा है।

- सुधीर कांसकार, प्रबंधक, कलादीर्घा, जिला पंचायत, मंडला

छह जिलों के लिए बनाया गया एक्शन प्लान

इधर, प्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद योजना में लघु वनोपज संग्रहण के लिए 6 जिलों के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें अलीराजपुर, सिंगरौली, उमरिया, बैतूल, मंडला और अनूपपुर जिले शामिल हैं। अलीराजपुर में महुआ फूल और सफेद मूसली की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से विशेष प्रयास कर विपणन और प्र-संस्करण के लिए 2 वन धन केन्द्र में मशीन स्थापित की जाएंगी। सिंगरौली में महुआ फूल के प्र-संस्करण में 7 वन धन केन्द्रों का उपयोग किया जाएगा। उमरिया जिला में महुआ फूलों के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए स्थापित 6 वन धन केन्द्र के जरिए महुआ लड्डू, बिस्किट और केक बनाने के साथ महुआ बीज से तेल निकालने की योजना तैयार की गई है। स्थानीय वृक्षारोपण योजना में 6 स्थानों पर महुआ के पौधों का रोपण भी कराया गया है। बैतूल जिले में महुआ फूल और अचार गुठली के प्र-संस्करण एवं विपणन के लिए वन धन विकास केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह किसानों को भी निजी भूमि पर औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कराया जाएगा। इन केन्द्रों पर तैयार उत्पाद स्थानीय बाजार, ट्राइफेड और संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से विक्रय कराया जाएगा।

इनका कहना है

मंडला जिले में आंवला, अर्जुन छाल, शहद और महुआ के प्र-संस्करण की योजना तैयार की गई है। अनूपपुर जिले में गुलबकावली के संरक्षण एवं उत्पादन के लिए एक्शन प्लान के तहत पौधा-रोपण सहित विशेष प्रयास किए जाएंगे। इससे स्थानीय ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी।

डॉ. विजय शाह, वन मंत्री

सागौन उत्पाद प्रोत्साहन योजना में बैतूल का चयन

सतीष साहू

बैतूल। सागौन उत्पाद प्रोत्साहन के लिए बैतूल जिले का चयन किया गया है। यहां सागौन उत्पाद मात्रा का आकलन कर इसमें वृद्धि की संभावनाओं को तलाशा जाकर उत्पादों के मूल्य संवर्धन को सूचीबद्ध कर विपणन की रणनीति तैयार की जाएगी। वन विभाग ने एक जिला-एक उत्पाद योजना में बैतूल जिले के सागौन काष्ठ के प्रांरभिक प्र-संस्करण और सागौन काष्ठ के उत्पाद बढ़ाने वाले शिल्पकारों और संस्थानों की सूची तैयार की है। उत्पादों के मूल्य संवर्धन की संभावनाओं को सूचीबद्ध कर इनके विपणन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बैंगलुरू और भारतीय वन प्रंबधन संस्थान से सहयोग लिया जाएगा।

»मछुआ कल्याण विकास मंत्री सिलावट ने की घोषणा »सरकार ने मछली पालकों की आर्थिक सहायता बढ़ाई

शिव सरकार ने मत्स्य पालकों बनाएगी आत्मनिर्भर

भोपाल, संवाददाता

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में मछली पालन को बढ़ाने एवं मछली पालकों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से मछली पालकों के लिए चल रही योजनाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने महासंघ की 25वीं वार्षिक साधारण सभा में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर तक के व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। मछुआरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ही मत्स्य महासंघ का स्थापना की गई थी। लड़कियों के विवाह के लिए मीनाक्षी कन्या विवाह जाल-नाव सहित अन्य आर्थिक संबल प्रदान करने वाली योजनाए मत्स्य महासंघ संचालित कर रहा है।

सहायता राशि में इजाफा

मंत्री ने मछुआ महासंघ की महासभा में गंभीर बीमारी के लिए आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर 40 हजार से 50 हजार, तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए और मछुआ सोसाइटी के सदस्यों में किसी की

मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि 7500 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दी है।

मिलेगी लाइफ जैकेट

मेजर कॉर्प और अन्य प्रजाति की मछली पकड़ने पर 32 रुपए किलो के स्थान पर अब 34 रुपए किलो और अन्य छोटी मछलियों को पकड़ने पर 19 रुपए प्रति किलो के स्थान पर 20 रुपए प्रति किलो मत्स्याखेट की दर तय कर दी है। इसके साथ ही मछुआ समिति की मांग पर सभी मछुआरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के संबंध में मंत्री ने निर्देश दिए हैं।

क्रेडिट कार्ड भी

मंत्री सिलावट ने संचालक मत्स्य विकास और मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक को निर्देश दिए कि सभी मछुआरों के क्रेडिट कार्ड दिसंबर तक बन जाने चाहिए, जिससे बैंको से जीरो ब्याज दर पर ऋण राशि दी जाएगी।

36 करोड़ का बजट पारित

साधारण सभा में मत्स्य महासंघ द्वारा प्रस्तुत 56 करोड़ की आय और 36 करोड़ के व्यय का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रदेश के 27 जिलों के जलाशय में मछुआ समिति क्रियाशील हैं। इस वर्ष 445 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 20 करोड़ की राशि मछुआरों को प्रदान की गई है। मत्स्य महासंघ में 216 और विभाग में 2 हजार मछुआ समिति कार्यरत हैं।

स्वच्छ भारतः मप्र सहित देश के साढ़े 17 हजार गांवों का होगा सर्वे

अब गांवों को भी मिलेगी स्वच्छता की रैंकिंग

» 2019 में 72 फीसदी सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय की सुविधा थी

» 2019 में 88.7 फीसदी सार्वजनिक स्थल प्लास्टिक कूड़े से मुक्त थे

भोपाल/नई दिल्ली

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दो को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2021 लॉन्च किया। खुले में शौच से मुक्ति के बाद ओडीएफ प्लस गांव बनाने की दिशा में आने वाले व्यवधानों को दूर करने और मिशन के कार्यक्रमों में तेजी लाना इस सर्वेक्षण का मुख्य लक्ष्य है। एसएसजी-2021 की रैंकिंग में आपके गांव में जलभराव की स्थिति, ठोस और तरल कचरे सहित प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन सबसे अधिक फर्क डालेगा। समूह बैठकों, 17,475 गांवों के करीब 1.75 लाख परिवारों से और मोबाइल एप पर मिलने वाला फीडबैक गांव की स्वच्छता की रैंकिंग तय करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 लॉन्च करने के साथ ही हिंदी-अंग्रेजी सहित तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में फीडबैक के लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। सर्वेक्षण में फील्ड सर्वे 25 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक चलेगा।

मप्र में भी होगा सर्वे

सर्वेक्षण में गांव, जिला और राज्यों को कुछ निर्धारित मानकों का प्रयोग करके रैंकिंग दी जाएगी। इस सर्वेक्षण के तहत मध्यप्रदेश सहित देशभर के 698 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। इन 17,450 गांवों, जिला और फिर राज्य की रैंकिंग के सर्वेक्षण के लिए 87,250 सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो सके, उसके लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन बनाई गई है।

स्वच्छता को बनाएंगे जनांदोलन

पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इससे पहले वर्ष 2018 और 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कराया था। कोरोना महामारी के बीच वर्ष 2020 में यह सर्वेक्षण नहीं कराया गया। यह सर्वेक्षण केवल रैंकिंग देने की प्रक्रिया तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छता की आदत को एक जनांदोलन बनाने का अभियान है।

1000 अंकों का होगा सर्वे

सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण 30 फीसदी। आम नागरिकों, ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावशाली लोगों और जनप्रतिक्रिया सहित लोगों की ऑनलाइन प्रतिक्रिया 35 फीसदी। स्वच्छता संबंधी मापदंडों को लेकर सेवा स्तर की प्रगति 35 फीसदी।

नंबर-1 था तमिलनाडु

गौरतलब है कि स्वच्छता रैंकिंग के पहले पायदान पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर गुजरात आया था। छोटे राज्यों की रैंकिंग में मिजोरम अव्वल रहा था। जिला रैंकिंग में पहले नंबर पर तेलंगाना का पेड्डापल्ली, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर रेवाड़ी था।

इनका कहना है

पिछले सर्वे से यह पता चला कि ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत पहुंच गया है। अब हमारी उपलब्धियां नए सर्वे में सामने आएंगी। स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छता सबसे बड़ा हथियार है। जो कुछ कमियां स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे में सामने आएंगी, उससे सुधार का मौका मिलेगा। फीडबैक गांव की स्वच्छता की रैंकिंग तय करेगा।

प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय राज्यमंत्री जलशक्ति
केंद्र सरकार का फोकस है कि जो कुछ कमियां स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे में सामने आएंगी, उससे सुधार का मौका मिलेगा। यह देश में अपने किस्म का सबसे बड़ा सर्वे है। राज्यों से अपील की कि वे बढ़-चढ़कर सर्वे में हिस्सा लें और अपने गांव का नाम रोशन करने में मदद करें।

पंकज कुमार, सचिव, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग
एक विशेषज्ञ एजेंसी को बड़े सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिजल्ट का डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। लोगों को स्वच्छता पर फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पिछली बार तीन करोड़ फीडबैक आए थे। इस बार इसके चार करोड़ से ऊपर पहुंचने की संभावना है।

अरुण बरोका, अतिरिक्त सचिव, केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग

जबलपुर में आयकरदाता किसानों को प्रशासन ने थमाया नोटिस

मध्य प्रदेश में डेढ़ हजार किसानों से वापस ली जा रही सम्मान निधि

भोपाल। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना का लाभ हर किसान को मिल सके इसके लिए सरकार ने हर एक किसान के खाते में पैसे भेज दिए, लेकिन अब यही योजना उन किसानों के लिए मुसीबत बन गई है जो किसान आयकर दाता हैं। अब ऐसे किसानों से सासम्मान सम्मान निधि नोटिस भेज कर वापस मांगी जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऐसे किसानों की संख्या 1621 हैं, जिन्हें 1 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वापस करनी है। छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, लेकिन अब यही योजना कुछ किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। योजना की शुरुआत में ही सरकार ने आनन-फानन में हर एक किसान के खाते में सम्मान निधि की राशि भेजना शुरू कर दी, लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिल रहा है जो आयकर दाता हैं। इस बात का खुलासा होने के बाद अब सरकार ने आयकर दाता किसानों से सम्मान निधि वापस लेने की शुरुआत भी कर दी है।

किसानों में हड़कंप

जबलपुर जिले में 1621 से ज्यादा किसानों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई है। इन किसानों को पीएम सम्मान निधि की राशि लौटाने नोटिस दिया गया है। जिले के ये किसान आयकर दाता की सूची में शामिल हैं। योजना के तहत करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की राशि इन किसानों के खातों में पहुंची है। अब इस राशि को वापस लाने के लिए अधिकारियों ने जद्दोजहद शुरू कर दी है। जबलपुर जिले में 1 लाख 84 हजार किसान ऐसे हैं, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि मिलती है।

अपात्र बने थे पात्र

इस योजना में किसानों के खातों में साल में 6 हजार रुपए की राशि केन्द्र जबकि 4 हजार की राशि राज्य द्वारा जमा की जाती है। इस योजना में नियम यह था कि ऐसे किसान जिनकी भूमि 5 एकड़ के लगभग हो और वह आयकर दाता न हो उन्हें लाभ दिया जाना है, लेकिन योजना का लाभ कई ऐसे किसानों ने भी ले लिया जो पात्र नहीं थे।

मुख्यमंत्री कोरोना विशेष अनुग्रह योजना में शामिल होंगे पंचायतकर्मी

भोपाल। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में जिला, जनपद और पंचायतों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नियुक्त सेवायुक्तों के संबंध में उनकी सेवा शर्तों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शासन ने योजना सभी नियमित, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स सहित अन्य कर्मचारियों के लिए लागू की है। जिला, जनपद और पंचायतों के अधीक्षक, सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-दो, सहायक ग्रेड-तीन, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, सचिव सहित मानदेय प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक सहित अन्य कर्मचारी योजना में शामिल होंगे। योजना के तहत कोरोना के उपचार के दौरान या स्वस्थ होने के बाद संक्रमित होने के साठ दिन में बीमारी से मृत्यु पर स्वजन को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिंण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)